उत्तर प्रदेश शासन
दुग्ध विकास अनुभाग-2
संख्या-14/2020 /808/53-2-2020-2(44)/2015
लखनऊ: दिनांक 23 सितम्बर, 2020

शासनादेश संख्या-10/2020/616/53-2-20-2(44)/15, दिनांक 24 अगस्त, 2020 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-16, जिला योजना-सामान्य) में प्राविधानित धनराशि रू0 464.10 लाख के सापेक्ष 1/6 प्रथम किश्त के रूप में रू0 77.35 लाख (रू0 सतहत्तर लाख पैंतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश के प्रस्तर- 1(3) में "स्वीकृत की जा रही धनराशि से दवाओं/सामग्री का क्रय निर्धारित प्रक्रिया व मानकों के अनुसार किया जायेगा ", अंकित है।

2- अत: उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 24 अगस्त, 2020 के प्रस्तर- 1(3) में अंकित "सामग्री" का आशय पी0सी0डी0एफ0 के पशुआहार निर्माणशालाओं द्वारा निर्मित "पशुआहार एवं मिनरल मिक्चर" है ।

3- तदनुसार शासनादेश संख्या-10/2020/616/53-2-20-2(44)/15, दिनांक 24 अगस्त, 2020 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। शासनादेश दिनांक 24 अगस्त, 2020 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

(रविशंकर गुप्ता)
विशेष सचिव।

संख्या-14/2020 /808**(1)/53-2-2020, तददिनांक।**

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम) उ0प्र0, प्रयागराज।
3- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
4- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्करोड, लखनऊ।
6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/सम्बन्धित जिलाधिकारी/सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी।
7- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8- सम्बन्धित क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी/ इकाई प्रभारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उ0प्र0।
9- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1/2/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3
11- सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0/सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी।
12- सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी ।
13- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
उप सचिव ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in